


OFFICE OF THE DIRECTOR
Uttarakhand & West UP
Geo-Spatial Data Centre
17, E.C. Road Dehradun
FAX : 0135- 2656402
E-mail : ukgcd.dn.soi@gov.in

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



निदेशक का कार्यालय
उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र०
भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र
17, ई.सी. रोड, देहरादून

फैक्स : 0135- 2656402

उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ०प्र० भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, देहरादून का नेमी आदेश
संख्या:प्रशा:- ०४ /37-जी-9 दिनांक १ अगस्त 2018

1. **प्रारम्भिक वर्गीकरण :-**

इस केन्द्र के निम्नलिखित टी.टी.टी.ए को अस्थाई गुप 'बी' (अराजपत्रित) स्थापना में लेवल-6 के वेतन मैट्रिक्स रु 35,400-1,12,400 में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से भारत के महासर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षक के पद पर प्रारम्भिक वर्गीकरण (Initial Classification) की स्वीकृति प्रदान की जाती है उक्त पद दिनांक 28.02.2019 तक स्वीकृत है :-

क्रम सं.	नाम	पद	प्रारम्भिक वर्गीकरण के लाभ की तिथि
1	श्री संदीप सिंह मनराल	टी.टी.टी.ए	01.01.2018
2.	श्री अनुराग सिंह रावत	टी.टी.टी.ए	01.01.2018

उपर्युक्त कर्मचारियों की प्रारम्भिक वरिष्ठता अब से उपरोक्त संदर्भित पत्र के पैरा-1 के अनुसार दर्शाई जाएगी ।

इस मद् में होने वाला खर्च इस केन्द्र के 2018-19 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा तथा उपर्युक्त शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।

(प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक का दि० 27.07.18 पत्र सं. स्था-1/4573/992डिविजन-1/सी)

2. **Continuation under the Old Pension Scheme - 1972 Contingent khalasi**

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्र संख्या-E3-2452/1117-Pension Rules dated 20.06.2018 के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली का पत्रांक एस.एम/02/09/2018 दिनांक 22.05.2018 के अनुसार इस केन्द्र के निम्नलिखित न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को जो कि सम्भाव्य खलासी के पद पर भर्ती हुए थे, पुरानी पेंशन स्कीम 1972 के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से Continued to be treated under the Old Pension Scheme 1972 in accordance with DOPT OM dated 26.02.2016 and 28.07.2017 के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि	सम्भाव्य खलासी के पद पर नियुक्ति की तिथि	अस्थाई नियमित खलासी के पद पर नियुक्ति की तिथि	पुरानी पेंशन स्कीम 1972 में Continue होने की तिथि
1	श्रीमती प्रभा रानी	07.10.1958	21.08.2001	01.03.2004	01.03.2004
2.	श्री यशपाल सिंह थापा	08.11.1972	29.12.2003	04.04.2006	04.04.2006

कमश पृष्ठ.....2/पर

3. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिवीजन-॥ एवं डिवीजन-। (डिवीजन ॥ से पदोन्नत) कर्मचारियों को तृतीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) अधिकारी (डिवि-। डिवि-॥ से पदोन्नत) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	तृतीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री खडक बहादुर खत्री	अधिकारी सर्वेक्षक	01.01.2018

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त अधिकारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त अधिकारी का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय वर्ष 2018-19 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी-4454/1902-MACP-III (OS) दिनांक 10.08.2018)

4. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-॥ एवं डिविजन-। (डिविजन - ॥ से पदोन्नत) कर्मचारी को प्रथम एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) अधिकारी { डिविजन-। (डिवीजन ॥ से पदोन्नत) } को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 06 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	प्रथम एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री अनिल दत्त	सर्वेक्षण सहायक	01.09.2008

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2018-19 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-4473/1902-एम.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी.) दिनांक 10.08.2018)

5. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-१। एवं डिविजन-१ (डिविजन - १। से पदोन्नत) कर्मचारी को द्वितीय एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) अधिकारियों (डिविजन-१ (डिविजन १। से पदोन्नत)) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 07 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	द्वितीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री अनिल दत्त	सर्वेक्षण सहायक	01.01.2018
2	श्री बीर सिंह पुंडीर	सर्वेक्षण सहायक	01.01.2018
3	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	सर्वेक्षण सहायक	01.01.2018

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारियों को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2018-19 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

(प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 4468/1902-एस.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी.) दिनांक 10.08.2018

6. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-१। एवं डिविजन-१ (ग्रुप 'डी' से पदोन्नत) कर्मचारी को द्वितीय एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-१। एवं डिविजन-१ (ग्रुप 'डी' से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 07 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री रणधीर सिंह	मानचित्रकार ग्रेड-१।	01.01.2018

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2018-19 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

(प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-4461/1902-एस.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी.) दिनांक 10.08.2018)

7. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारी को तृतीय एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'डी/तकनीकी श्रमिक के पद पर नियुक्त हुए थे तथा वर्तमान में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत है। निम्नलिखित कर्मचारियों के नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 05 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	तृतीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री सुरेश चन्द्र यादव	प्रवर श्रेणी लिपिक	25.08.2018
2	श्री पी० बी० चमोली	प्रवर श्रेणी लिपिक	25.08.2018

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2018-19 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

(प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी-4416/1902-एस.ए.सी.पी. (मिनिस्ट्रीयल ।।।) दि० 10.08.18)

8. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षकों को प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षक के सर्ग में निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 07 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	द्वितीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री नरेश कुमार	सर्वेक्षक	01.01.2018

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2018-19 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

(प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 4385/1902-एम.ए.सी.पी.-1(सर्वेक्षक)(संग्रह ।।) दिनांक 10.08.2018

8. स्थानान्तरण पर आये:- इस केन्द्र में निम्नलिखित कर्मचारी स्थानान्तरण पर आये :-

क्र सं.	नाम एवं पदनाम	किस कार्यालय से स्थानान्तरित हुए	स्थानान्तरण की दिनांक	प्राधिकार
1	श्री गजेन्द्र कुमार, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	उत्तरी मुद्रण वर्ग देहरादून	24.07.2018 (अपराहन)	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. स्था.1-3946/972 दिनांक 03.07.18

9. स्थानान्तरण पर गये:- इस केन्द्र से निम्नलिखित अधिकारी स्थानान्तरण पर गये:-


क्र सं.	नाम एवं पदनाम	दिनांक	किस कार्यालय में स्थानान्तरित हुए	प्राधिकार
1	श्री के0 बी0 खत्री अधिकारी सर्वेक्षक	09.07.2018	अपर महासर्वेक्षक विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. स्था1-4033/1466 (अधिकारी) (संग्रह-58) दिनांक 05.07.2018

10. पदोन्नति पर स्थानान्तरण पर गये:- इस केन्द्र से निम्नलिखित कर्मचारी पदोन्नति पर स्थानान्तरण पर गये:-

क्र सं.	नाम एवं पदनाम	दिनांक	किस कार्यालय में स्थानान्तरित हुए	प्राधिकार
1	श्री गोपाल दत्त पाण्डे, तकनीकी श्रमिक	20.08.2018 (अपराहन)	निदेशक, पश्चिमी मुद्रण वर्ग दिल्ली	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. स्था-2-3043 /2133-डी.सी. (संग्रह-31) दिनांक 10.08.2018

11. सेवानिवृत्त:- इस केन्द्र से निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए ।

1. श्री रघुवीर सिंह, सहायक दिनांक 31.07.18
2. श्री बीर सिंह रावत, खलासी दिनांक 31.07.18
3. श्री भूपाल सिंह, वाहन चालक विशेष ग्रेड दिनांक 01.08.2018


(आर. के. मीणा)
निदेशक

वितरण (ई मेल द्वारा) :-

1. भारत के महासर्वेक्षक को सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक :- पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता/पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग/मध्य क्षेत्र, जबलपुर/उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़/दक्षिणी क्षेत्र, बंगलोर/पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून/मुद्रण क्षेत्र, हैदराबाद भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान (एस.टी.आई.), हैदराबाद।

3. अपर महासर्वेक्षक /निदेशक :- पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ जी.डी.सी./जम्मू व कश्मीर जी.डी.सी जम्मू/हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.चण्डीगढ़/असम व नागालैण्ड जी.डी.सी,गुवाहाटी/ मेघालय व अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी,शिलांग/ त्रिपुरा, मणिपुर व मिज़ोरम जी.डी.सी,सिलचर/ बिहार जी.डी.सी,पटना/ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी कोलकाता/ तमिलनाडु, पांडिचेरी और अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी,चेन्नई/उड़ीसा जी.डी.सी,भूवनेश्वर/झारखण्ड जी.डी.सी,रांची/छत्तीसगढ़ जी.डी.सी,रायपुर/गुजरात, दमन एवं दिव जी.डी.सी, गांधी नगर/महाराष्ट्र एवं गोवा,जी.डी.सी (हैदराबाद विंग)/ महाराष्ट्र एवं गोवा,जी.डी.सी,पुणे/ कर्नाटक,जी.डी.सी,बेंगलोर/ केरल और लक्षद्वीप,जी.डी.सी तिरुवनन्तपुरम/ सर्वेक्षण (हवाई) और दिल्ली,जी.डी.सी,दिल्ली/ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय,दिल्ली/ दिल्ली राज्य भू-स्थानिक ऑकडा केन्द्र अवसंरचना/ राष्ट्रीय जी.डी.सी.देहरादून/ मानचित्र अभिलेख एवं प्रचार केन्द्र,देहरादून/ उत्तरी मुद्रण वर्ग,देहरादून/ पूर्वी मुद्रण वर्ग,कोलकाता/ मध्य प्रदेश जी.डी.सी.जबलपुर/ राजस्थान जी.डी.सी.जयपुर/ पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी.लखनऊ/ आन्ध्र प्रदेश जी.डी.सी.हैदराबाद/ पश्चिमी मुद्रण वर्ग,दिल्ली/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग,हैदराबाद/ भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर सम्बेदन निदेशालय,हैदराबाद/ ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा देहरादून, अंकीय मानचित्रण केन्द्र देहरादून ।
4. केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, देहरादून ।
5. लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. 14-सी-1एम.ए.सी.पी/8-बी-2अधिकारी/4-एफ-1(आई.सी.)/5-एकेव्यक्तिगतफाईल/गार्ड फाईल।
7. भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वैबसाईट ।